न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2022/7 दायर दिनांक 29.03.2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) –सायल–

बनाम

जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति माली उम्र 57 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 गुसाईयों की समाधी के पास चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरु जिला चूरू। –गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**
2. **अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनियां वास्ते गैरसायल**

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू (राज.)

निर्णय दिनांक : 14.09.2023

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति माली उम्र 57 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 गुसाईयों की समाधी के पास चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू का रहने वाला है, जो अवैध जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदि है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	नतीजा अदालत
1.	145/24.04.2003	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	27.05.2003	166/2003	सजा 07.02.2004
2.	204/11.06.2003	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	24.07.2003	299/2003	सजा 24.07.2003
3.	205/12.06.2003	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	24.07.2003	298/2003	सजा 24.07.2003
4.	50/13.03.2004	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	19.04.2004	142/2004	सजा 19.04.2004
5.	141/17.06.2004	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	21.06.2004	228/2004	सजा 21.06.2004
6.	76/05.04.2005	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	11.04.2005	193/2005	सजा 11.04.2005
7.	82/22.03.2013	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	02.04.2013	324/2013	सजा 02.04.2013
8.	153/29.05.2013	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	07.06.2013	522/2013	सजा 07.06.2013
9.	277/13.07.2014	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	12.08.2014	615/2014	पैण्डिंग न्यायालय
10.	28/24.01.2015	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	19.02.2015	03/2015	पैण्डिंग न्यायालय
11.	192/03.07.2015	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	18.08.2015	17/2015	सजा 18.08.2015
12.	175/31.07.2016	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	24.08.2016	37/2016	सजा 24.08.2016
13.	119/08.06.2017	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	10.11.2017	746/2017	पैण्डिंग न्यायालय
14.	196/07.10.2017	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	29.11.2017	781/2017	सजा 29.11.2017
15.	234/14.10.2020	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	22.12.2020	825/2020	सजा 22.12.2020
16.	284/07.12.2020	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	22.12.2020	829/2020	सजा 22.12.2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

17.	188 / 06.08.2021	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	02.09.2021	898 / 2021	पैण्डिंग न्यायालय
18.	230 / 12.09.2021	13 आरपीजीओ	कोतवाली चूरू	01.10.2021	1387 / 2021	पैण्डिंग न्यायालय

अतः इस्तगासा विरुद्ध जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति माली उम्र 57 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 गुसाईयों की समाधी के पास चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री शेरसिंह पूनिया ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब दिनांक 23.09.2022 को पेश किया। अधिवक्ता ने जवाब में अंकित किया कि गैरसायल पर पुलिस द्वारा जानबुझकर धारा 13 आरपीजीओ के तहत कार्यवाही कर मुकदमों की संख्या बढ़ाने के लिए झूठे मुकदमें दर्ज किये है। यह की गैरसायल गरीब व्यक्ति है, बाल बच्चेदार है तथा मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करता है। गैरसायल द्वारा काफी समय से किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा व अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है तथा भविष्य में भी किसी प्रकार का अपराध नहीं करेगा। अतः उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 18 बार, 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैरसायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

गैरसायल अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दौहराते हुए कहा कि गैरसायल गरीब व्यक्ति है, बाल बच्चेदार है तथा मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करता है। गैरसायल द्वारा काफी समय से किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा व अन्य प्रकरण दर्ज नहीं है। पुलिस वाले जानबुझकर मुकदमा दर्ज कर गैरसायल को न्यायालय में पेश कर 100 / रूपये जुर्माना की रसीद सम्बन्धित पुलिस कर्मी द्वारा ही कटवाकर मुकदमें का निस्तारण कर देते है। गैरसायल वृद्ध हो चुका है तथा काफी समय से किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप फरमाने की कृपा करें।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू व गैरसायल अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 18 बार, 13 आरपीजीओ में दिनांक 24.04.2003, 11.06.2003, 12.06.2003, 13.03.2004, 17.06.2004, 05.04.2005, 22.03.2013, 29.05.2013, 13.07.2014, 24.01.2015, 03.07.2015, 31.07.2016, 08.06.2017, 07.10.2017, 14.10.2020, 07.12.2020, 06.08.2021 व 12.09.2021 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति माली उम्र 57 साल निवासी वार्ड नम्बर 02 गुसाईयों की समाधी के पास चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल जगदीश प्रसाद पुत्र मोहन लाल जाति माली उम्र 57 साल निवासी वार्ड नम्बर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2022/7

पुलिस अधिक्षक चूरू बनाम जगदीश प्रसाद

02 गुसाईयों की समाधी के पास चूरू, पुलिस थाना कोतवाली चूरू जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू गैरसायल जगदीश प्रसाद को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना रतननगर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू